तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3215/2002/जालौर लक्ष्मण गिरी बनाम हीराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.21	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री समीर अहमद, अभिभाषक अपीलांट संख्या 1 सांवलगिरी के। श्री राहित सोनी अभिभाषक अपीलाट संख्या 2 व 3 अचलगिरी व चौथी के (अपीलांट संख्या 1 से 3 मृतक लक्ष्मण गिरी के वारिसान है) श्री शलेन्द्र राणा, अभिभाषक रेस्पो0। श्री ओ0भी0भटट्, उप राजकीय अभिभाषक **<u>आदेश</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही दिनांक 20.03.2002 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी ग्राम विछावाडी खसरा नं0 390/371 रकबा 15 बीघा जिसका वर्तमान खसरा ंन0 123 रकबा 1.66 है0 भूमि अपीलांट को दिनांक 31.5.1968 को आवंटित की गयी थी तभी से वह उक्त आराजी पर कब्जे काश्त में चला आ रहा है। रेस्पो0 ने उक्त आवंटन दिनांक 31.5.68 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 परीक्षण न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे परीक्षण न्यायालय जिला कलेक्टर, अपने निर्णय दिनांक 27.03.2001 से स्वीकार करते हुये उक्त आवंटन दिनांक 31.5.68 को निरस्त किये जाने का आदेश दे दिया। परीक्षण न्यायालय जिला कलेक्टर के उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2001 से ग्रसित होकर अपीलां ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की । जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2002 से खारिज करते हुये परीक्षण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3215/2002/जालौर लक्ष्मण गिरी बनाम हीराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय जिला कलेक्टर के उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2001 को यथावत रख दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के उक्त निर्णय दिनांक 20.2. 2002 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन के बाद से विवादित आरजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट ने दिनांक 23.09.2000 को उक्त आराजी का बेचान सुजाना व करना को करके उसे कब्जा संभलवा दिया। आवंटन निरस्त किये जाने की दिनांक को आराजी का बेचान कर दिया गया। रेस्पो0 ने अपीलांट व खरीददारान करना व सुजाना को परेशान करने की नियत से नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे परीक्षण न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार करते हुये उसका आवंटन निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि जिन्होंने नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वे व्यक्ति न तो कृषक है और ना ही इस गांव के रहने वाले है। केवल मात्र अपीलांट को परेशान व तंग करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट के पिता के पास यदि कोई पारिवारिक भूमि थी तो वह उनकी खातेदारी की थी जिस पर पूरे परिवार का हक व अधिकार है। विवादित आराजी के आवंटन के समय अपीलांट एक भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता था तथा पूर्ण जांच पडताल करने के उपरांत ही नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3215/2002/जालौर लक्ष्मण गिरी बनाम हीराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी का आवंटन किया गया था। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1994 ए0आई0आर0 1128, 1997 डी0एन0जे0 पेज 632, 2001 आर0आर0डी0 133, 1995 आर0बी0जे0 780, 2018 आर0आर0टी0 1007 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया था कि विवादित आराजी पूर्व में ग्राम की मवेशीयों को चराने के उपयोग में आती रही है। आवंटी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा क्योंकि आवंटी ग्राम बागोडा में रहता था व वर्तमान में चौराउवडी में निवास करता है और उसके पास पैतृक भूमि है। आवंटी इस ग्राम का मूल निवासी ही नहीं है। आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है उक्त आवंटन धोखे से कराया गया है। इस प्रकार आवंटी आवंटन का पात्र ही नहीं था जिसे विधि विरूद्ध आवंटन कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालयों ने इसे निरस्त करने मे कोई त्रुटि कारित नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान प्रस्तुत अपील को सारहीन होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का आद्योपांत अवलोकन एंव अध्ययन किया। इस प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही ने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3215/2002/जालौर लक्ष्मण गिरी बनाम हीराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	'' विवादित आराजी का आवंटन किशोरगर पुत्र मंगगर के नाम हुआ है। आवंटन के समय से पूर्व आवंटी के खाते में खसरा नम्बर 586 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बागोडा की खातेदारी पूर्व में ही है। इस प्रकार अपीलांट आवंटन के योग्य ही नहीं था। यह आवंटन गलत हुआ है। योग्य अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को इस आराजी पर काश्त करते नहीं पाया है तथा ग्राम पंचायत ने भी प्रमाण पत्र दिया है कि यह आराजी पडत है जिसमे मवेशी चराई का काम ही होता है किसी का कब्जा नहीं है। इस प्रकार योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय बिल्कुल तर्क संगत दिया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। जिससे यह अदालत उनके निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानती है।'' न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही के उक्त निर्णय और प्रस्तुत प्रकरण से सबंधित उपलब्ध समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिस विवादित भूमि के आवंटन की कार्यवाही की गयी थी वह विवादित भूमि उस ग्राम के पशुओ के लिए आखरियों के रूप में उपयोग आ रही थी। यहां यह भी स्पष्ट है कि जिस विवादित भूमि का आवंटन किया गया है उसके आवंटन की नोटिफीकेशन विधिवत रूप से पर्याप्त समय पूर्व और समुचित पर्याप्त विवरण देते हुये जारी नहीं किया गया था जो नियमानुसार किया जाना आवश्यक था। यहां यह भी सर्वविधित था कि विवादित भूमि जिस ग्राम में स्थित है आवंटी व्यक्ति उस ग्रम के निवासी न होकर अन्य ग्राम के निवासी थे जिनका इन विवादित भूमियों पर पूर्व में या आवंटन के पश्चात कब्जा होना या किसी प्रकार की फसल बोयी जाना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को यह आवंटन किया गया है वह आवंटन के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3215/2002/जालौर लक्ष्मण गिरी बनाम हीराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समय भूमिहीन कृषक नहीं थे जिसके कारण वह इस कृषि भूमि आवंटन के पात्र नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा भी अपने जबाव में इस आवंटन को राज्यहीत के विरूद्व और गलत आवंटन किया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त यहां पर यह भी महत्पूर्ण है कि इस गलत आवंटन के कारण स्थानीय स्तर पर गंभीर विवाद होने के कारण अति0 जिला सैशन न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा भी विवादित भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने कार्यवाही की गयी है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय पारित किये गये है जिसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 20.03.2002 व 27.03.2001 यथावत रखे जाते है।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य